



क्षेत्रीय कार्यालय - 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, GHAZIABAD

संदर्भ सं० :

2927/14508/14

दिनांक 23-9-14

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी, (शस्त्र),
कार्यालया जिला मजिस्ट्रेट,
हापुड़।

विषय: मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०, वेदव्यासपुरी परतापपुर, मेरठ द्वारा ग्राम लाखन तहसील धौलाना के खसरा संख्या 251 मसूरी पिलखुआ रोड एन.एच.-24 पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने सम्बन्धी जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 1693(1)/शस्त्र लिपिक-हापुड़/बीस/ए.सी./2014 दिनांक 01.07.2014 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय के द्वारा दिनांक 16.09.2014 को किया गया। स्थलीय जॉच आख्या संलग्न हैं। तत्काल में अवगत कराना है कि रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना किये जाने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की शर्तों के साथ आख्या प्रेषित हैं।

1. भारत सरकार पेट्रोलियम एण्ड एक्सप्लोसिव सेफ्टी आग्रेनाइजेशन (पैसो) द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
2. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायें।
3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
4. विधुत आपूर्ति वाधित होने की दशा में प्रस्तावित डी.जी. सेट पर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ध्वनि एवं वायु उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जायें एवं वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
5. प्रभागी निदेशक सामाजिकी वानिकी विभाग, हापुड़ से अनुमति प्राप्त की जायें।
6. ग्राम लाखन परगना डासना, तहसील धौलाना जनपद हापुड़ स्थित खाता संख्या 24 खसरा संख्या 251 को न्यायालय उपजिलाधिकारी धौलाना के द्वारा धारा-143 ज०वि० अधिनियम के अन्तर्गत जारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।



भवदीय,


क्षेत्रीय अधिकारी